भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-178

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का प्रभाव

***178. श्रीमती रुचि वीरा:**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के सरकार के निर्णय से प्रत्येक परिवार प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और उपभोक्ताओं के सामने आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में पोस्टपेड सेवाएं प्रदान करने का है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत मंत्री
(श्री मनोहर लाल)

(क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का प्रभाव' के संबंध में दिनांक 11.12.2025 को उत्तरार्थ लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 178 के संबंध में भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग) :

I. देश भर में प्रीपेड मोड में कार्य कर रहे 1.6 करोड़ स्मार्ट मीटर सहित कुल 4.93 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, राज्यों/वितरण यूटिलिटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर कुल 20.33 करोड़ के स्मार्ट मीटरिंग कार्य जिसमें प्रीपेड मोड में 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए, 2.11 लाख फीडर और 52.53 लाख डीटी शामिल हैं, स्वीकृत किए गए हैं और 3.58 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। शेष स्मार्ट मीटर राज्यों द्वारा उनकी राज्य योजनाओं/अन्य स्कीमों के अंतर्गत लगाए गए हैं।

II. पोस्ट पेड सेवा पारंपरिक रूप से डिफ़ॉल्ट मोड में रही है। हालांकि, उपभोक्ताओं और वितरण यूटिलिटी, दोनों को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और उच्च लोड वाले उपभोक्ताओं को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है तथा बाद में फायदा दिखने पर अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे।

उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित लाभों की परिकल्पना की गई है:

i. छोटे रिचार्ज के साथ रिचार्ज की सुविधा
ii. जीरो बैलेंस पर कनेक्शन कटने से बचने के लिए मीटर में आपातकालीन क्रेडिट
iii. खपत की ट्रैकिंग
iv. त्रुटि रहित बिलिंग

उपभोक्ताओं के अलावा, प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर लोड पूर्वानुमान, मांग पक्ष प्रबंधन के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग और ऊर्जा पारगमन के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र की सुविधा जैसे लाभ प्रदान करते हुए वितरण यूटिलिटी की बिलिंग और संग्रह दक्षता में सुधार करने में मदद करती है। वितरण यूटिलिटी को होने वाले लाभ, अंततः बेहतर सेवाओं और कम लागतों के रूप में उपभोक्ताओं को ही मिलते हैं।

III. प्रारंभ में, स्मार्ट मीटरों के लाभों के बारे में उपभोक्ताओं में कम जागरूकता के कारण स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां थीं। उपभोक्ताओं को जोड़ने और उनमें विश्वास बढ़ाने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न परामर्शिकाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रीपेड मीटर लगाने के लिए बिल में छूट के माध्यम से उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करना;
- स्मार्ट मीटर द्वारा दर्ज की गई उच्चतम मांग के आधार पर उपभोक्ता पर कोई जुर्माना नहीं,
- पिछले बकाया की आसान किश्तों में वसूली के लिए तंत्र;
- स्मार्ट मीटरों की सटीकता में विश्वास बढ़ाने के लिए चेक मीटर लगाना;
- बिजली की खपत की नियमित ट्रैकिंग और आसान रिचार्ज के लिए स्मार्ट मीटर मोबाइल ऐप उपलब्ध कराए जा रहे हैं;
- उपभोक्ताओं को बैलेंस और इमरजेंसी क्रेडिट के लिए अग्रिम अलर्ट।

****